Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 5 | ISSN : 2582-0095

धर्मसूत्रों में स्त्री अपराध एवं तत् संबंधित दण्ड व्यवस्था का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन (गौतम, बौधायन और आपस्तम्ब के सन्दर्भ में)

संगीता राय
शोधार्थिनी,
संस्कृत एवं प्राच्यविद्या अध्ययन संस्थान,
जे.एन.यू, नईदिल्ली, भारत।

संक्षेपिका :- विश्व की संस्कृति में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाली स्त्री जिसे राष्ट्र की संस्कृति निर्माण का मुख्य मापदण्ड माना जाता था, की स्थिति बहुत ही भयावह और चिन्ताजनक है। समाज में बढ़ रहे स्त्री-विरोधी अपराध नारियों की अस्तित्त्व को चुनौती दे रहे हैं। ये अपराध दिन प्रतिदिन हिंस्र से हिंस्र होते जा रहे हैं। समाज में ऐसा घटाटोप व्याप्त हुआ है जहाँ स्त्रियों का खुलकर सांस ले पाना कठिन हो गया है। बर्बर बलात्कार, दहेज उत्पीडन, कन्या भ्रूण हत्या, बाल- विवाह, स्त्रियों पर तेज़ाब फेंके जाने, बलात्कार के बाद ख़ौफनाक हत्याओं जैसी घटनाएँ साधारण हो गयी हैं। आधुनिक समय में नारी विरोधी अपराधों की यह स्थिति यह सोचने पर विवश करते हैं कि क्या प्राचीन समय में जब नारियों को 'श्री एवं लक्ष्मी' के रुप में देखा जाता था, तो क्या उस समय भी समाज में नारी विरोधी अपराध होते थे – विशेषकर धर्मसूत्रों के काल में। क्या उस समय भी नारी अपराधों के लिए वर्तमान समय जैसे ही दण्ड विधान प्रचलित थे।

मुख्श शब्द :– संस्कृति, स्त्री, अपराध, दण्ड विधान, धर्मशास्त्र, समाज।

धर्मशास्त्रकालीन ग्रन्थों में सूत्र-ग्रन्थों , स्मृति-ग्रन्थों तथा रामायण एवं महाभारत का उल्लेख प्राप्त होता है। गृह्यकर्म में अपेक्षित विषयों, वेद से विहित सदाचारपरम्परा द्वारा आए हुए धर्म का विधान करने वाले सूत्रविशेष को धर्मसूत्र कहते हैं। इन ग्रन्थों में वर्णधर्म, आश्रमधर्म, राजधर्म, जीवन एवं समाज से जुडे प्रत्येक सामान्य नियम एवं कानूनों, सदाचार, व्यवहार एवं प्रायश्चित इत्यादि विषयों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। धर्मशास्त्र के आदि ग्रन्थों विशेषकर गौतम-धर्मसूत्र, आपस्तमब-धर्मसूत्र, एवं बौधायन-धर्मसूत्र में आचार, विधि-नियम एवं क्रिया-संस्कारों का विधिवत वर्णन है।

विद्यमान धर्मसूत्रों में गौतम-धर्मसूत्र को सबसे प्राचीन माना जाता है।[1] यह सामवेद से संबंधित है। इसमें कुल तीन प्रश्न एवं २८ अध्याय हैं जो गद्य में निबद्ध है।[2]धर्मशास्त्र के आचार, व्यवहार एवं प्रायश्चित इन मुख्य विषयों का प्रतिपादन इसमें किया गया है। प्रथमप्रश्न में मुख्य रुप में ब्रह्मचारिधर्म, द्वितीय प्रश्न में आश्रमधर्म, राजधर्म, व्यवहार(न्यायनिरुपण), वैश्यधर्म, शूद्रधर्म तथा वर्णजातिविवेक, तृतीयप्रश्न में प्रायश्चित और दायभाग का वर्णन है।

[1] धर्मशास्त्र का इतिहास, पी.वी. काणे, प्रथम भाग पृ.१०

[2] धर्मशास्त्र का इतिहास, पी.वी. काणे, प्रथम भाग पृ.११

बौधायन धर्मसूत्र का संबंध कृष्णयजुर्वेद से है। इस धर्मसूत्र को डा. बर्नेल ने छ: प्रकरणों में विभाजित किया है।[3] बौधायन धर्मसूत्र चार प्रश्नों में विभाजित है। अन्तिम प्रश्न परिशिष्ट माना गया है। इन प्रश्नों को अध्यायों एवं खण्डों में बाँटा गया है।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से संबंधित है। यह अध्वर्यु नाम के ऋत्विजों के प्रमुख कल्प का अंग है। शैली की दृष्टि से आपस्तम्ब धर्मसूत्र मुख्यरुप से गद्य में निबद्ध है परन्तु इसमें कहीं-कहीं पदों का भी प्रयोग हुआ है। इस धर्मसूत्र में दो प्रश्न हैं जो ११ पटल में विभक्त है। दोनों प्रश्नों में क्रमश: ३२ और २९ कण्डिकाएँ हैं। जिसमें धर्म तथा धर्म के प्रमाण, चतुर्वण ब्रह्मचर्य, गृह्यस्थ, संन्यास और वान्यप्रस्थ के नियम एवं कानूनों का विस्तृत वर्णन है।

वेदों की तरह धर्मसूत्रों में भी स्त्री-धर्म से संबंधित विषयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। उसके शील, सदाचार, आचरण, करणीय तथा अकरणीय कार्यों का निरुपण किया गया है। घर, परिवार , समाज एवं धर्म आदि कार्यों में उसकी सहभागिता सुनियोजित किया गया है। स्त्री को पति के अधीन रहकर धर्म के अनुष्ठान का निर्देश प्राप्त होता है। गौतम धर्मसूत्र के अनुसार स्त्री पति के साथ धर्म का अनुष्ठान कर सकती है वह धर्मानुष्ठान करने में स्वतन्त्र नहीं है –

"अस्वतन्त्रा धर्मे स्त्री"[4]

तात्पर्य है कि स्त्रियाँ श्रौत धर्म में यथा अगन्याधान, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, निरूढपशुबन्ध,सोमयाग इत्यादि में पति के साथ ही उपस्थित हों। इसी प्रकार की व्यवस्थाएँ पारिवारिक संरचना में दृढता लाने, पति,पत्नी और सन्तति को सुरक्षित रखने में आधार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त इन तीनों ही धर्मसूत्रों में स्त्री संबंधित अपराधों यथा भ्रूण हत्या, नारी हत्या, आत्रेयी नारी-हत्या, नारी से संबंध रखने पर पति एवं पर- पुरूष से संबंध रखने पर पत्नी का प्रायश्चित , नारी को अपमानित करने पर दण्ड एवं बलात्कार का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त नारी अपराधों का वर्णन अन्य धर्मशास्त्र के अन्य ग्रन्थों में भी प्राप्त होते हैं। आपस्तम्ब धर्मसूत्र के अनुसार अगर शुद्रवर्ण व्यक्ति प्रथम तीन उच्च वर्णों के साथ सम्भोग करता है तो उसे मृत्युदण्ड देना चाहिए-

"शूद्रस्तु त्रैवर्णिकस्त्रयां प्रसक्तो वध्य: ।"[5]

परन्तु आचार्य हरदत्त का कहना है कि यह दण्ड उस शूद्र व्यक्ति को देना चाहिए जो उच्चवर्ण की स्त्री का रक्षक बनाकर भेजने पर और समय पाकर उसके साथ बलपूर्वक ऐसा दुष्कृत्य करता है परन्तु दूसरी ओर परस्त्री संभोग के लिए प्रजनेन्द्रियों को कटवा लेने के दण्ड के विधान प्रथम हो-

"अन्यस्य तु पूर्वोक्तं शिश्नच्छेदनमेव ॥"[6]

उपरोक्त विषय में गौतम धर्मसूत्र में कहा गया है शुद्र व्यक्ति के साथ उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति को छीनने का भी दण्ड देना चाहिए –

'' आर्यस्त्र्यभिगमने लिङ्गोद्धार: स्वहरणं च ॥"[7]

इसके विपरीत अगर ब्राह्मण,क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के व्यक्ति शूद्र वर्ण के स्त्रियों के साथ संभोग करता है तो उसे देश से निकालने का दण्ड राजा को निर्धारित करना चाहिए –

"आर्यस्त्रैवर्णिक: शूद्रायां परभार्यायां प्रसक्तोरागया राष्ट्रान्नाश्य: निर्वास्य: ।[8]

---

[3] धर्मशास्त्र का इतिहास, पी.वी. काणे, प्रथम भाग पृ.१४

[4] गौतम धर्मसूत्र-२/९/१

[5] आपस्तम्ब ध.सू.-२/२७/९

[6]आपस्तम्ब ध.सू.- २/२७/९

[7] गौतम ध.सू.- २/१२/२

[8]. आपस्तम्ब ध.सू.- २/२७/८

ध्यातव्य है कि धर्मसूत्रों के काल में एक ही प्रकार के अपराध के लिए उच्च और निम्न वर्ण में न्याय के आधार पर भेदभाव किया जाता था। एक ओर जहाँ ब्राह्मण ,क्षत्रिय एवं वैश्य को परस्त्री गमन के लिए देश निकालने का दण्ड दिया जाता था वहीं दूसरी ओर शूद्र वर्ण के व्यक्ति को मृत्यु दण्ड का विधान है। परन्तु वर्तमान समय में स्थिति इससे भिन्न है। आज की न्याय व्यवस्था वर्ण आधार पर दण्ड का निर्धारित नहीं करता है। विवाह जो भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधार स्तम्भ माना जाता है। यह समाज का निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई "परिवार" का मूल है। साथ ही यह मानव प्रजापति के सातत्य को बनाए रखने का प्रधान जीवशास्त्री माध्यम है। प्राचीन काल में विवाह के छ: प्रकार प्रचलित थे। परन्तु विवाह के आधुनिक रुप होने सामाजिक कुरुतियाँ ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्राचीन विवाह की ही देन है। आधुनिक समय में विवाह से व्याप्त कुरुतियों में बाल विवाह, दहेज प्रथा समाज में प्रचलित हैं। प्राचीन समय में विवाह के आठ प्रकार थे- ब्राह्म विवाह, प्राजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह, गान्धर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह एवं पैशाच विवाह।

" अष्टौ विवाहा:" ।[9]

उपरोक्त विवाहों में आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह कहीं न कहीं समाज में दहेज , बालविवाह, कन्या अपहरण आदि को जन्म देने के लिए उत्तरदायी हैं। यथा पैशाच विवाह में सोती हुई,नशीली वस्तु से माती या भयादि से प्रमत्त बनी हुई कन्या से बलात् संभोग करता है –

"सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वोपयच्छेदिति पैशाच: ॥"[10]

धर्मग्रन्थों में इस प्रकार के विवाह किसी भी वर्ण के लिए भले ही क्यों न हो परन्तु इस प्रकार के विवाह, रीति-रिवाज एवं नियम कहीं न कहीं आधुनिक समय में व्याप्त अपहरण,बलात्कार,एसिड अटैक और अनेक प्रकार के अपराधों को जन्म देने के लिये उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त जिन विवाहों में कन्या के माता-पिता धन्य लेकर या देकर कन्या का विवाह करते थे वे विवाह आधुनिक समय में दहेज और लडकियों के खरीद-बिक्री को जन्म देते हैं। आज भारत के अनेक राज्यों जैसे बिहार,बंगाल से लडकियों के बेचने के मामले सामने आते हैं।

इसके अतिरिक्त स्त्रियों के साथ हुए अपराध के लिए धर्मशास्त्र के ग्रन्थों में स्त्रियों के प्रायश्चित का प्रावधान है। धर्मसूत्रों में यह प्राप्त होता है कि शुद्र व्यक्ति से मैथुन कराने पर उच्चवर्ण वाली स्त्री को व्रत, नियम एवं उपवास आदि के द्वारा कृश बना देना चाहिए –

"दारं चाऽस्य कर्शयेत् ॥"[11]

इसके अनन्तर धर्मसूत्रकारों ने यह प्रतिपादित किया है ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति अपने वर्ण की परस्त्री से संभोग करता है वह पतित व्यक्ति के लिये विहित प्रायश्चित का चतुर्थांश प्रायश्चित करे-

"सवर्णायामन्यपूर्वायां सकृत्सन्निपाते पाद: पततीत्युपदिशशन्ति ॥"[12]

ध्यातव्य है कि वर्ण आधार पर प्रायश्चित करने की विधि में भी भेदभाव किया जाता था।

वर्त्तमान समय में भारतीय दंड संहिता कानून महिलाओं को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है ताकि समाज में घटित होने वाले विभिन्न अपराधों से वे सुरक्षित रह सकें। भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों अर्थात हत्या,

---

[9] बौधायन ध.सू-१/११/१

[10] बौधायन ध.सू-१/११/९

[11] आपस्तम्ब ध.सू-२/१०/१०

[12] आपस्तम्ब ध.सू-२/१०/११

आत्महत्या हेतु प्रेरण, दहेज मृत्यु, बलात्कार, अपहरण एवं व्यपहरण आदि को रोकने का प्रावधान है। उल्लंघन की स्थिति में गिरफ्तारी एवं न्यायिक दंड व्यवस्था का उल्लेख इसमें किया गया है। इसके प्रमुख प्रावधान निम्न हैं-

- भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर बुरी-बुरी गालियाँ देना एवं अश्लील गाने आदि गाना जो कि सुनने पर बुरे लगें।
- धारा 304 बी के अंतर्गत किसी महिला की मृत्यु उसका विवाह होने की दिनांक से 7 वर्ष की अवधि के अंदर उसके पति या पति के संबंधियों द्वारा दहेज संबंधी माँग के कारण क्रूरता या प्रताड़ना के फलस्वरूप सामान्य परिस्थितियों के अलावा हुई हो।
- धारा 306 के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य (दुष्प्रेरण) के फलस्वरूप की गई आत्महत्या, धारा 313 के अंतर्गत महिला की इच्छा के विरुद्ध गर्भपात करवाना, धारा 314 के अंतर्गत गर्भपात करने के उद्देश्य से किए गए कृत्य द्वारा महिला की मृत्यु हो जाना है।
- धारा 315 के अंतर्गत शिशु जन्म को रोकना या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु के उद्देश्य से किया गया ऐसा कार्य जिससे मृत्यु संभव हो, धारा 316 के अंतर्गत सजीव, नवजात बच्चे को मारना, धारा 318 के अंतर्गत किसी नवजात शिशु के जन्म को छुपाने के उद्देश्य से उसके मृत शरीर को गाड़ना है।
- धारा 354 के अंतर्गत महिला की लज्जाशीलता भंग करने के लिए उसके साथ बल का प्रयोग करना है।
- धारा 363 के अंतर्गत विधिपूर्ण संरक्षण से महिला का अपहरण करना, धारा 364 के अंतर्गत हत्या करने के उद्देश्य से महिला का अपहरण करना, धारा 366 के अंतर्गत किसी महिला को विवाह करने के लिए विवश करना या उसे भ्रष्ट करने के लिए अपहरण करना है।
- धारा 371 के अंतर्गत किसी महिला के साथ दास के समान व्यवहार, धारा 372 के अंतर्गत वैश्यावृत्ति के लिए 18 वर्ष से कम आयु की बालिका को बेचना या भाड़े पर देना है।
- धारा 373 के अंतर्गत वैश्यावृत्ति आदि के लिए 18 वर्ष से कम आयु की बालिका को खरीदना, धारा 376 के अंतर्गत किसी महिला से कोई अन्य पुरुष उसकी इच्छा एवं सहमति के बिना या भयभीत कर सहमति प्राप्त कर अथवा उसका पति बनकर या उसकी मानसिक स्थिति का लाभ उठाकर या 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ उसकी सहमति से दैहिक संबंध करना या 15 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ उसके पति द्वारा संभोग, कोई पुलिस अधिकारी, सिविल अधिकारी, प्रबंधन अधिकारी, अस्पताल के स्टाफ का कोई व्यक्ति गर्भवती महिला, 12 वर्ष से कम आयु की लड़की जो उनके अभिरक्षण में हो, अकेले या सामूहिक रूप से बलात्कार करता है। इसे विशिष्ट श्रेणी का अपराध मानकर विधान में इस धारा के अंतर्गत कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है।
- धारा 363 में अपहरण के अपराध के लिए दंड देने पर 7 साल का कारावास और धारा 363 (क) में भीख माँगने के प्रयोजन से किसी महिला का अपहरण या विकलांगीकरण करने पर 10 साल का कारावास और जुर्माना है।
- धारा 365 में किसी व्यक्ति (स्त्री) का गुप्त रूप से अपहरण या व्यपहरणकरने पर 7 वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों, धारा 366 में किसी स्त्री को विवाह आदि के लिए विवश करने के लिए अपहृत करने अथवा उत्प्रेरित करने पर 10 वर्ष का कारावास, जुर्माने के प्रावधान हैं।
- धारा 372 में वैश्यावृत्ति के लिए किसी स्त्री को खरीदने पर10 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना, धारा 373 में वैश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए महिला को खरीदने पर 10 वर्ष का कारावास, जुर्माना एवं बलात्कार से संबंधित दंड आजीवन कारावास या दस वर्ष का कारावास और जुर्मानाहै।
- धारा 376 क में पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान संभोग करने पर 2 वर्ष का कारावास अथवा सजा या दोनों का प्रावधान है।

- धारा 376 ख में लोक सेवक द्वारा उसकी अभिरक्षा में स्थित स्त्री से संभोग करने पर 5 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों, धारा 376 ग में कारागार या सुधार गृह के अधीक्षक द्वारा संभोग करने पर 5 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
- धारा 32 (1) में मरे हुए व्यक्ति (स्त्री) के मरणासन्न कथनों को न्यायालय सुसंगत रूप से स्वीकार करता है जो कथन मृत व्यक्ति (स्त्री) द्वारा अपनी मृत्यु के बारे में या उस संव्यवहार अथवा उसकी किसी परिस्थिति के बारे में किए गए हों, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई हो।
- धारा 113 ए में यदि किसी स्त्री का पति अथवा उसके रिश्तेदार के द्वारा स्त्री के प्रति किए गए उत्पीड़न, अत्याचार जो कि मौलिक तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित हो जाते हैं, तो स्त्री द्वारा की गई आत्महत्या को न्यायालय दुष्प्रेरित की गई आत्महत्या की उपधारणा कर सकेगा। धारा 113बी में यदि भौतिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों द्वारा यह प्रमाणित हो जाता है कि स्त्री की अस्वाभाविक मृत्यु के पूर्व मृत स्त्री के पति या उसके रिश्तेदार दहेज प्राप्त करने के लिए मृत स्त्री को प्रताड़ित करते, उत्पीड़ित करते, सताते या अत्याचार करते थे तो न्यायालय स्त्री की अस्वाभाविक मृत्यु की उपधारणा कर सकेगा अर्थात दहेज मृत्यु मान सकेगा।

स्त्रियों से संबंधित अपराधों यथा बर्बर बलात्कार, स्त्रियों पर तेज़ाब फेंके जाने, बलात्कार के बाद ख़ौफनाक हत्याओं जैसी घटनाएँ साधारण हो गयी हैं। पिछले दिनों लखनऊ, बदायूं, भगाणा, आदि जगहों पर हुई घटनायें इसका उदाहरण हैं। आखिर क्या कारण है कि ऐसी अमानवीय घटनाएँ दिन प्रतिदिन बढती जा रही हैं ? इस प्रश्न को समझना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि समस्या को पूरी तरह समझे बिना उसका समाधान निकाल पाना संभव नहीं है। अक्सर स्त्री-विरोधी अपराधों के कारणों की जड़ तक न जाने के कारण हमें अनेक लोगों में देखने को मिलता है। इन अपराधों के मूल को ना पकड़ पाने के कारण ऐसी घटनाओं को रोकने के समाधान के स्थान पर कोई भी आवश्यक उपाय दे पाने में असमर्थ रहते हैं। वे इसी समाजिक व्यवस्था के अंदर ही कुछ कड़े क़ानून बनाने, दोषियों को बर्बर तरीके से मृत्युदण्ड देने आदि जैसे उपायों को ही इस समस्या के समाधान के रूप में देखते हैं। इस पूरी समस्या को समझने के लिए हमें इसके आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि सभी कारणों की पड़ताल करनी होगी, तभी हम इस समस्या का सही समाधान निकालने में समर्थ हो पाएंगे। उपरोक्त अपराधों के विषय में व्यापक चर्चा प्राचीन काल से ही हो रही है। धर्मशास्त्र के ग्रन्थों यथा धर्मसूत्रों तथा स्मृतियों के अवलोकन करने पर विभिन्न मत दृष्टिगोचर होते हैं। वर्तमान समय में इन अपराधों से संबंधित अलग-अलग नियम एवं दण्ड निर्धारित किए हैं तथा आवश्यकतानुसार उसमें समय समय पर संशोधन भी किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य स्त्री-अपराधों को बढने से रोकना है। साथ ही साथ न्यायपालिका भी स्त्रियों से संबंधित विवादों पर अत्यंत गम्भीरता से विचार करती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

आपस्तम्ब-धर्मसूत्रम्, आपस्तम्ब, (हि.व्या.) उमेशचन्द्र पाण्डेय, चौखम्भा संस्कृत संस्थान, २००६।

गौतमधर्मसूत्रम्, गौतम, हरदत्तकृत 'मिताक्षरा' ख्यवृत्तिसहितम्, (हि.व्या.) प्रमोदवर्धन:कौण्डिन्न्यायन:, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, २०१५।

धर्मशास्त्र का इतिहास (भाग १-५) , पी.वी.काणे, हिन्दी समिति उतरप्रदेश, लखनऊ, १९७३-८०।

बौधायन-धर्मसूत्रम्, बौधायन, (हि.व्या.) उमेशचन्द्र पाण्डेय, चौखम्भा प्रकाशन, वाराणसी, २००८।

कुमार, नरेन्द्र, *धर्मसूत्रीय आचार संहिता* , विद्यानिधि प्रकाशन, दिल्ली, १९९९।

हिन्दू विवाह में कन्यादान का स्थान , सम्पूर्णानन्द, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, १९५६।

hindi.webduniya.com

hindi.livelaw.in